जिला योजना/ आयोजनागत
संख्या–1142/III (2)/04–13 (बजट)/2004

प्रेषक,

टी0के0 पन्त,
संयुक्तसचिव,
उत्तराचल शासन ।

सेवामे,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल ।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून,दिनांक 31 मई,2004

विषयः– वित्तीय वर्ष 2004–2005 मे सडको तथा सेतुओ पर पूंजीगत परिव्यय जिला तथा अन्य सडके जिला योजना हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता स्तर–1 लोक निर्माण विभाग ,देहरादून के पत्र संख्या–349/02 बजट (जिला योजना)/2004–2005 दिनांक 11–5–2004 के संदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2004–05 मे सडको तथा सेतुओ पर पुंजीगत परिव्यय जिला तथा अन्य सडके जिला योजना (आयोजनागत) मे प्राविधानित धनराशि रू0 16.00 करोड (रू0 सोलह करोड मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– (क) उक्त धनराशि का व्यय जिला समिति द्वारा अनुमोदित चालू कार्यो पर किया जायेगा । तथा जिला सैक्टर की नई योजनाओ पर व्यय शासन का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही किया जायेगा । चालू योजनाओ पर भी व्यय अनुमोदित लागत की सीमा तक ही किया जायेगा ।

(ख) स्वीकृत धनराशि के संबंध मेजिलेवार एवं कार्यवार फांट करके एक सप्ताह के अन्दर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ।

3– उक्त धनराशि का व्यय डी.सी. एल. के आधार पर किया जायेगा, तथा मासिक आवश्यकतानुसार तीन समान किश्तो मे कोषागार से आहरण किया जायेगा, एवं वित्तीय/भौतिक लक्ष्यो का विवरण शासन को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा । उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के 80 प्रतिशत उपयोग एवं विगत वर्ष स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबधित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होगे ।

4– उक्त धनराशि का आहरण तब ही किया जायेगा जब विगत वर्ष मे उक्त मद मे जिला योजनान्तर्गत समस्त धनराशि का उपयोग कर लिया जाय । जिन जनपदो मे विगत वर्ष की पूर्ण धनराशि का उपयोग हो चुका है वे ही उक्त धनराशि का आहरण कर सकते है ।

5– यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि व्यय चालू कार्य पर कार्य की पूर्व अनुमानित लागत की सीमा तक ही किया जाये ।

6– व्यय करने से पूर्व जिन मामलो मे बजट मैनुअल,वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशो के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो,उनमे व्यय करने

क्रमश 2/–

से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय । निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनो /पुनरीक्षित आगणनो पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदनके साथ–साथ विस्तृत आगणनो पर सक्षम प्राधिकारी की तकनिकी स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

7– व्यय उन्ही योजनाओ पर किया जायेगा जो अनुमोदित हो ।

8– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबधित अधिशासी अभियन्ता पर्ण रूप से उत्तरदायी होगे ।

9– इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक –5054 सडको तथा सेतुओ पर पूजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सडके –आयोजनागत–800–अन्य व्यय–91जिला योजना–00–24 वृहत्त निर्माण कार्य मे उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयो के नामे डाला जायेगा ।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. सं0–401 /वित्त अनुभाग–3/04,दिनांक,27 मई–2004 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नक:– यथोक्त ।

भवदीय

(टी0एस0 पन्त)
संयुक्त सचिव

संख्या– 1142 (1)/लो.नि.2/04,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल,इलाहाबाद / देहरादून ।
2– आयुक्त गढवाल/कुमायू मंडल, पौडी/नैनीताल ।
3– मुख्य अभियन्ता स्तर–1,लो0नि0वि0,देहरादून ।
4– समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकरी ,उत्तरांचल ।
5– मुख्य अभियन्ता , गढवाल/कुमायू क्षेत्र,लो0नि0वि0, पौडी/ अल्मोडा ।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून ।
7– श्री एल.एम. पन्त, अपर सचिव,वित्त (बजट) अनुभाग,उत्तरांचल शासन ,देहरादून ।
8– वित्त अनुभाग–3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन ।
9– वरिष्ठ प्रभारी राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,उत्तरांचल शासन ।
10– निजी सचिव ,मा. मुख्यमंत्री जी को मा. मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ ।
11– लोक निर्माण अनुभाग–1 उत्तरांचल शासन / गार्ड बुक ।

आज्ञा से

(टी0एस0 पन्त)
संयुक्त सचिव

R.c.joshi

शासनादेश संख्या– 1142 /III (2)/04–13(बजट)/2004 दिनांक 31 मई,2004 का संलग्नक

अनुदान संख्या–22
लेखाशीर्षक–5054–सडको तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सडके
5054–04–800–91– जिला योजना–24 वृहत्त निर्माण कार्य ।

कम सं.	जनपद का नाम	कुल परिव्यय	कुल परिव्यय मे से मार्ग/सेतु) पुनः निर्माण सहित) चालू कार्यो का परिव्यय ।	प्रथम तीन माह हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	नैनीताल	450.01	450.00	173.70
2	ऊधमसिंह नगर	535.80	500.00	193.00
3	अल्मोडा	300.00	225.00	86.50
4	पिथोरागढ	235.00	235.00	90.70
5	बागेश्वर	370.00	291.00	112.30
6	चम्पावत	269.92	210.92	81.40
7	देहरादून	250.00	250.00	96.50
8	पौडी	300.00	300.00	115.80
9	टिहरी	250.00	250.00	96.25
10	चमोली	375.00	375.00	144.00
11	उत्तरकाशी	390.00	320.00	123.50
12	रूद्रप्रयाग	236.79	236.79	91.40
13	हरिद्वार	510.00	505.00	194.95
	योगः–	4472.52	4148.71	1600.00

(रू0 सोलह करोड मात्र)

(टी0एन0 पन्ना)
संयुक्त सचिव ।